आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Department of Agriculture, Himachal Pradesh

Mukhyamantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jeevan Suraksha Yojana

हिमाचल प्रदेश सरकार खेती की मशीनों के इस्तेमाल में हादसे का शिकार हुए किसानों और खेतिहर मजदूरों को मुआवजा देती है।

क्या मिल सकता है

मृत्यु होने पर 3 लाख रुपये, स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता पर 10,000 से 40,000 रुपये की सहायता मिलती है।

किसके लिए है

हिमाचल प्रदेश के वे किसान और खेतिहर मजदूर, जो खेती की मशीन पर काम करते समय हादसे में घायल हुए हों या जिनकी मृत्यु हो गई हो।

मुख्य शर्तें

- व्यक्ति किसान या खेतिहर मजदूर होना चाहिए।
- हादसा हिमाचल प्रदेश के भीतर खेती की मशीन या औजार के इस्तेमाल में हुआ हो, जैसे थ्रेशर, पावर टिलर, ट्रैक्टर, या कुआं खोदने और ट्यूबवेल लगाने का काम।
- चोट या मृत्यु के लिए पंजीकृत डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाणपत्र होना चाहिए।

दस्तावेज़

- हादसे की जानकारी वाला आवेदन फॉर्म, जिस पर पंचायत के प्रधान या सचिव, या शहरी निकाय के अधिकारी का प्रमाणन हो
- चोट या मृत्यु का ब्योरा देने वाला पंजीकृत डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाणपत्र

आवेदन कैसे करें

1. कृषि विभाग के योजना पृष्ठ से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
2. फॉर्म में आवेदक और हादसे का ब्योरा भरें और उसे पंचायत के प्रधान या सचिव, या शहरी निकाय के अधिकारी से प्रमाणित करवाएं।
3. पंजीकृत डॉक्टर के हस्ताक्षर वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र साथ लगाएं।
4. विकास खंड के कृषि विषय विशेषज्ञ दावे की जांच कर सिफारिश करते हैं और जिले के उप निदेशक कृषि राशि मंजूर करते हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://agriculture.hp.gov.in/en/our-scheme/mukhyamantri-kisaan-evam-khetihar-mazdoor-jeevan-suraksha-yojna/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/himachal-pradesh/hp-mukhyamantri-kisan-khetihar-mazdoor-jeevan-suraksha/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।